राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और सामाजिक संपरीक्षा

दिशा निर्देशिका

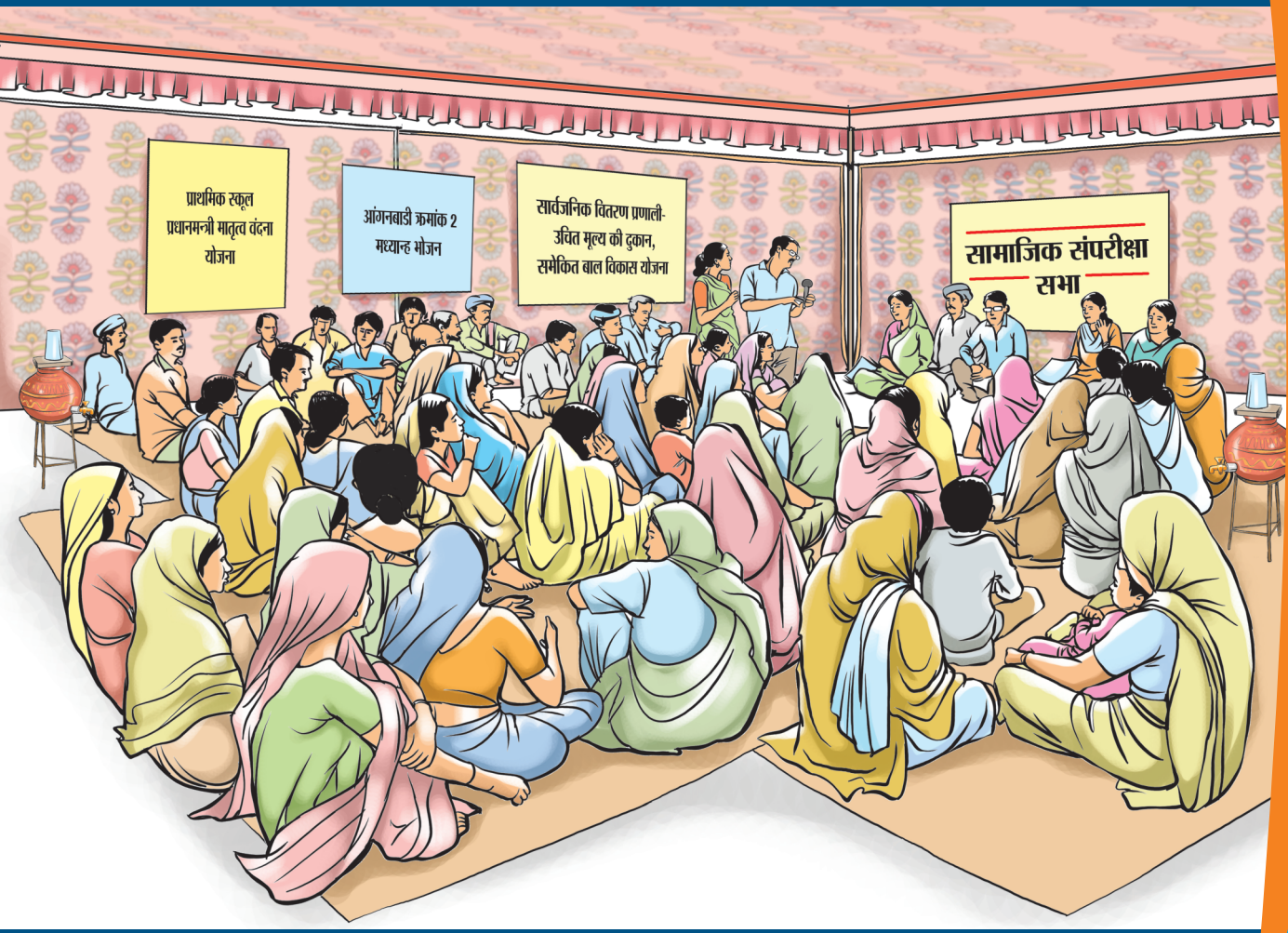

सत्यमेव जयते

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

दिशा निर्देशिका

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और सामाजिक संपरीक्षा)

वर्ष 2019

मार्गदर्शन

- **सुश्री नीलम शमी राव** (भारतीय प्रशासनिक सेवा)
  प्रमुख सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश)
- **श्री श्रीमन शुक्ल** (भारतीय प्रशासनिक सेवा)
  संचालक (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश)

सहयोग

- **सुश्री सुकृति सिंह**
  (संयुक्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मप्र)
- **श्री शशांक मिश्र**
  (संयुक्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मप्र)
- **श्री हनीफ शेख**
  (फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन्हेंस्ड रिजिलेंस प्रोजेक्ट, जीआईज़ेड – इंडिया)
- **डॉ. अभय कुमार पाण्डेय**
  (शासकीय आदर्श महाविद्यालय, उमरिया)

लेखन और संयोजन

- **सचिन कुमार जैन** (विकास संवाद)
- **विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी** (विकास संवाद)

चित्रांकन

- **शिरीष**

ले–आउट डिजाइन

- अमित सक्सेना

प्रकाशन

यह दिशानिर्देशिका खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत सामाजिक संपरीक्षा एवं जनजागरुकता मॉडल क्रियान्वयन (फरवरी–मार्च, 2019) के अंतर्गत फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन्हेंस्ड रिजिलेंस प्रोजेक्ट, जीआईजेड (GIZ), इंडिया के सहयोग से विकसित की गई है।

1.0 शीर्षक

सामाजिक संपरीक्षा दिशानिर्देशिका – इस दिशा–निर्देशिका को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 11 में उल्लिखित पारदर्शिता और जवाबदेही विषय के अंतर्गत धारा 27 (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों के प्रकटीकरण) एवं धारा 28 सामाजिक संपरीक्षा का कराया जाना) के क्रियान्वयन के लिए दिशा–निर्देशिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

2.0 पृष्ठभूमि

पर्याप्त भोजन एवं पोषण हर एक नागरिक का हक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 सितम्बर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन जीने के लिए उस कीमत पर, जो उनके सामर्थ्य में हो, पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन व पोषण सुरक्षा देना है, ताकि लोग सम्मान एवं गरिमा के साथ जीवनयापन कर सकें।

यह अधिनियम अपने आप में भारतीय राज्य व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार आधारित संवैधानिक पहल है। इस अधिनियम में जीवनचक्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लोक अधिकार यानि लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु चार योजनाओं को शामिल किया गया है। अधिनियम के तहत व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सुधार किये जाने पर बल दिया गया है तथा लोक सशक्तिकरण, सामुदायिक निगरानी, पारदर्शिता व जवाबदेहिता, शिकायत निवारण तंत्र आदि की व्यवस्था बनायी गयी है। हर स्तर पर अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करके पूर्ण पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक करने, आधार का उपयोग, विभिन्न सामग्री के वितरण की व्यवस्था कायम की गयी है। साथ ही विकेन्द्रीयकृत उपार्जन व छोटे किसानों की खेती में सुधार एवं फसल बीमा आदि की बात भी अधिनियम में कही गयी है। इस अधिनियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के साथ ही सामाजिक संपरीक्षा की बात भी की गयी है। सामाजिक संपरीक्षा को लागू करने के लिए निम्न ढांचागत व्यवस्था होगी।

3.0 परिभाषाएं

1. **खाद्य सुरक्षा – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय–2 में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा के दायरे का उल्लेख है।**
   - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र प्राथमिकता श्रेणी परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के मान से खाद्यान्न प्राप्त करने का हक है।
   - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के मान से खाद्यान्न प्राप्त करने का हक है।
   - गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात छः माह के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन।
     - ✓ जिससे उन्हें 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो।

- ✓ बच्चों को पोषण आहार छः महीने से छः साल तक के बच्चों को स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से समुचित निःशुल्क भोजन।
- ✓ छः महीने से तीन साल तक के बच्चों को घर ले जाया जाने वाला ऐसा भोजन दिया जाएगा, जिससे 500 किलो कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो।
- ✓ तीन साल से छः साल तक के बच्चों को ऐसा गरम पका हुआ भोजन मिलना, जिससे 500 किलो कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो।
- ✓ छः महीने से छः साल तक के कुपोषित बच्चों को घर ले जाया जाने वाला ऐसा भोजन मिलना, जिससे 800 किलो कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो।

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में छः से चौदह साल की उम्र तक के या आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को हर दिन निःशुल्क दोपहर का भोजन प्रदान किया जाना। (मध्यान्ह भोजन)

- जिससे निम्न प्राथमिक कक्षा के बच्चों को 450 किलो कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिले और उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों को 700 किलो कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन मिले।

2. **प्रसूति/मातृत्व लाभ** — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 4 (ख) के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता को कम से कम छः हज़ार रूपए का प्रसूति लाभ, ऐसी किश्तों में दिया जायेगा जो केंद्र सरकार द्वारा तय की जायेगी; इसमें उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थानों से जुड़े होने या किसी अन्य कानूनों के तहत प्रसूति लाभ मिल रहे हैं;

3. **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली** — इसका मतलब है उचित दर की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों/अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों/परिवारों/योजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली; वर्तमान में पात्र परिवारों, आंगनवाड़ी के पोषण आहार और मध्यान्ह भोजन के लिए खाद्यान्न इसी प्रणाली के तहत प्रदान किया जाता है।

4. **उचित दर की दुकान** — आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत राशन कार्ड धारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए स्थापित दुकान।

5. **आंगनवाड़ी** — भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत संचालित होने वाले बाल देखरेख और विकास केंद्र को आंगनवाड़ी केंद्र कहा जाता है।

6. **भोजन** — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ''भोजन'' का मतलब है केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों के मुतबिक गरम पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ और परोसे जाने के पूर्व गरम किया गया भोजन या घर ले जाया जाने वाला राशन;

7. **सामाजिक संपरीक्षा** — सामाजिक संपरीक्षा का मतलब उस प्रक्रिया से है, जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन के सामूहिक रूप से निगरानी करती है और उसका मूल्यांकन करती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 28 (1) के अनुसार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण

प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा। धारा 28 (2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी।

8. **स्थानीय प्राधिकारी** – इसमें पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में, जहाँ पंचायतें विद्यमान नहीं है, ग्राम परिषद या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वशासन के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है अथवा कोई अन्य ऐसा प्राधिकरण या निकाय सम्मिलित है, जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नगर सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है;

9. **सतर्कता समिति** – हर राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, सही कार्यान्वयन, कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लाक और उचित दर की दुकान के स्तरों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के प्रावधानों के अधीन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2001 के अनुसार सतर्कता समिति का गठन करेगी।

इसमें स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और निराश्रित व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।

यह समिति अधिनियम में शामिल सभी योजनाओं का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करेगी। उल्लंघन, अनाचार या भ्रष्टाचार के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करेगी;

10. **राज्य स्तरीय संचालन समिति** – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए व्यवस्था बनाने और सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया चलाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गठित समूह को राज्य संचालन समिति कहा जाएगा। इसमें राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना, मध्यान्ह भोजन योजना और प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन की भूमिका निभाने वाले विभाग के वरिष्ठ अधिकारी (जो कम से कम आयुक्त के स्तर के होंगे), पोषण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सामाजिक संपरीक्षा में अनुभव रखने वाली और स्थानीय विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के लिए काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

11. **राज्य स्रोत समूह (स्टेट रिसोर्स ग्रुप)** – सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए राज्य में क्षमता वृद्धि करने और प्रक्रिया की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर राज्य स्रोत/संसाधन समूह बनाया जाएगा। राज्य संसाधन/स्रोत समूह प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धि और निगरानी की भूमिका निभा कर राज्य के सभी जिलों के लिए प्रशिक्षक और स्रोत व्यक्तियों का समूह तैयार करेगा। इस समूह में 20 से 30 सदस्य होंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत क्रियान्वित होने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन लिए जिम्मेदार विभागों द्वारा नामांकित प्रशिक्षक और प्रशिक्षण का कौशल रखने वाले अधिकारी, सम्बंधित विषयों और सामाजिक संपरीक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य विषय के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

यह समूह राज्य स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि की नीति और कार्ययोजना बनाएगा। प्रशिक्षण और जन जागरूकता अभियान के लिए सामग्री का निर्माण करेगा और करवाएगा। इसके साथ ही राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करके प्रशिक्षकों का समूह निर्माण करेगा। राज्य संसाधन समूह की भूमिका होगी कि वह प्रदेश में संचालित हो रही सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया की निगरानी करे।

12. **जिला स्रोत समूह (डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप)** – राज्य संसाधन समूह द्वारा संचालित क्षमता वृद्धि और प्रशिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से जिला संसाधन समूह का गठन किया जाएगा। इस समूह में सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में रूचि और प्रशिक्षण कौशल रखने वाले विभागीय प्रतिनिधियों, सम्बंधित विषयों और सामाजिक संपरीक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य विषय के विशेषज्ञों शामिल किया जाएगा।

    जिला संसाधन और स्रोत समूह जिले के सभी विकासखंडों में सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया संचालित करने के लिए विकासखंड स्तरीय सुगमकर्ता और स्रोत समूह के गठन के लिए मदद करेगा। इस समूह में 20 से 25 सदस्य होंगे।

13. **विकासखंड सुगमकर्ता और स्रोत समूह** – विकासखंड स्तरीय सुगमकर्ता समूह की भूमिका होगी कि वह पंचायत स्तरीय सामाजिक संपरीक्षा दल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा करने में सहयोग प्रदान करे।

    विकासखंड स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुभवी सदस्यों, विकासखंड स्तर पर राज्य आजीविका मिशन के प्रशिक्षक और स्रोत व्यक्तियों को जोड़ कर सुगमकर्ता और स्रोत समूह का गठन किया जाएगा। इसमें 20 से 25 सदस्य होंगे।

    हर पंचायत स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा संचालित करने के लिए यह समूह सामाजिक संपरीक्षा दल के लिए सुगमकर्ता सदस्यों की भूमिका निभाएगा।

    हर सामाजिक संपरीक्षा दल के साथ सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया संपादित करने के लिए 2 से 3 सुगमकर्ता नियुक्त/नामित किए जाएं।

    यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल या उचित दर की दुकान की सामाजिक संपरीक्षा हो रही है, उस क्षेत्र का निवासी या सेवा प्रदाता या जनप्रतिनिधि से संबद्ध व्यक्ति सुगमकर्ता की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त न किया जाए।

14. **सामाजिक संपरीक्षा दल** – यह दल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया संपादित करेगा। उचित मूल्य दुकान स्तर पर लाभार्थी समूह एवं समुदाय के अन्य सदस्यों में से एक सामाजिक संपरीक्षा दल गठित किया जाएगा। इस समूह में लगभग 8 से 12 सदस्य होंगे, जिसमें स्थानीय समुदाय के प्रेरित युवा, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम के छात्र–छात्राएं, मनरेगा सामाजिक संपरीक्षा ऑडिटर, सतर्कता समिति के सदस्य, स्व सहायता समूह के सदस्य, पंचायत के सदस्य शामिल हो सकते हैं। विकासखंड सुगमकर्ता और स्रोत समूह के नामित/नियुक्त सदस्य इस दल के प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि के लिए मुख्य भूमिका निभाएंगे।

15. **सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल** – साथ ही एक सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल होगा जो सामाजिक संपरीक्षा दल को सहयोग करेगा। इस दल में गांव के स्वप्रेरित युवा, सेवानिवृत्त शिक्षक, स्वैच्छिक कार्यकर्ता आदि हो सकते हैं।

16. **सामाजिक संपरीक्षा सभा** – सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया के तहत एकत्र की गई जानकारी के आधार पर किये गए विश्लेषण और प्राप्त निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक संपरीक्षा सभा का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक संपरीक्षा सभा का आयोजन शासकीय उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) अथवा पंचायत स्तर पर (जो भी इकाई हो) किया जाएगा। हर सामाजिक संपरीक्षा के साथ सामाजिक संपरीक्षा सभा का आयोजन होगा, जिसमें लिए गए निर्णयों को कार्यवाही के लिए अनिवार्य माना जाएगा। इस सभा में समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा।

4.0 सामाजिक संपरीक्षा व्यवस्थागत/क्रियान्वयन ढांचा

4.1 राज्य स्तर (राज्य संचालन समिति)

राज्य स्तर पर पूरे प्रदेश में सामाजिक संपरीक्षा की नीति निर्धारण, नियोजन व क्रियान्वयन, समीक्षा व निगरानी तथा विभिन्न विभागों से समन्वय करने के लिए संचालन/सलाहकार समिति (सदस्य– राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य, एसीएस/पीएस सभी सम्बंधित विभाग, आयुक्त – खाद्य, संचालक– मध्यान्ह भोजन एवं खाद्य, आमंत्रित सदस्य–सीएसओ एवं विशेषज्ञ) का गठन किया गया है।

4.2 जिला स्तर (जिला स्तरीय स्रोत समूह)

जिला स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा समूह का गठन किया जाएगा जिसमें सीईओ, जिला पंचायत, डीपीओ महिला एवं बाल विकास, डीएसओ खाद्य, डीईओ, सीएमएचओ, आयुक्त आदिवासी विकास, डीपीसी–एसएसए, एमडीएम प्रभारी, सदस्य होंगे। यह समिति सामाजिक संपरीक्षा गतिविधियों को कलेक्टर के निर्देशन में क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगी एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं एवं क्रियान्वयन टीम के साथ समन्वय करेगी। इसके साथ ही सामाजिक संपरीक्षा स्रोत समूह होगा जो प्रशिक्षण का कार्य करेगा।

4.3 ब्लाक स्तर (सामाजिक संपरीक्षा सुगमकर्ता दल)

ब्लाक स्तर पर एक सामाजिक संपरीक्षा सुगमकर्ता दल होगा जो पूरे ब्लाक में सामाजिक संपरीक्षा के आयोजन व निगरानी में सहयोग एवं मेंटरिंग करेगा, साथ ही सामाजिक संपरीक्षा दल को प्रशिक्षित भी करेगा। इस समूह में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड स्रोत समन्वयक, मनरेगा के प्रशिक्षक, स्वयंसेवी संस्थाओं के अनुभवी प्रशिक्षक सदस्य होंगे। इस दल में 20–25 सदस्य होंगे जो जिला स्तरीय सामाजिक संपरीक्षा स्रोत दल द्वारा चयनित किये जाएंगे।

4.4 उचित मूल्य दुकान स्तर (सामाजिक संपरीक्षा दल)

उचित मूल्य दुकान स्तर पर लाभार्थी समूह एवं अन्य समुदाय के सदस्यों में से एक सामाजिक संपरीक्षा दल गठित किया जाएगा। इस समूह में लगभग 6 से 7 सदस्य होंगे, जिसमें निम्न सदस्य हो सकते हैं –

1. सतर्कता समिति सदस्य, सचिव व सरपंच को छोड़कर –1
2. स्व सहायता समूह सांझा चूल्हा एवं उचित मूल्य दुकान संचालन समूह को छोड़कर – 1
3. पीडीएस लाभार्थी (अजा एवं जजा) – 1
4. आईसीडीएस लाभार्थी (महिला) – 1

5. शाला प्रबंधन समिति पालक – 1

6. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम के छात्र – 1

7. पंचायत सदस्य– 1

8. मनरेगा सामाजिक संपरीक्षा आडिटर

साथ ही एक सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल होगा जो सामाजिक संपरीक्षा दल को सहयोग करेगा। इस सहयोगी दल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, शाला प्रबंधन समिति के सदस्य, प्रेरित युवा, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम के छात्र, मनरेगा सामाजिक संपरीक्षा आडिटर, सतर्कता समिति के सदस्य, स्व सहायता समूह के सदस्य, पंचायत के सदस्य शामिल हो सकते हैं। इस दल का चयन ग्रामसभा एवं पंचायत द्वारा किया जायेगा।

5.0 सामाजिक संपरीक्षा दल का प्रशिक्षण एवं समन्वय

5.1 प्रशिक्षण के विषय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

सम्पूर्ण प्रदेश में सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया को क्रियान्वित करने हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षक दल एवं पंचायत स्तरीय सामाजिक संपरीक्षा दल की क्षमता वृद्धि की जायेगी ताकि उसके अनुरूप कुशल टीम बनायी जा सके। इन प्रशिक्षणों के मुख्य विषय निम्न होंगे –

- खाद्य सुरक्षा की अवधारणा
- भारत में खाद्य सुरक्षा की पृष्ठभूमि
- भारत में सामाजिक अधिकार से सम्बंधित कानून
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान
- जवाबदेहिता, पारदर्शिता, शिकायत निवारण
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाएं
- सामाजिक संपरीक्षा की अवधारणा
- सामाजिक संपरीक्षा विधि एवं प्रपत्र

5.1.1 सामाजिक संपरीक्षा हेतु विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण

प्रशिक्षण स्तर	आयोजक	प्रशिक्षक	स्थान	अवधि	बैचेज	प्रतिभागी संख्या
राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण	राज्य स्तरीय संचालन/ सलाहकार समिति	राज्य स्तरीय अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ	भोपाल अथवा संभागीय मुख्यालय	4 दिन	2	25
जिला स्तरीय प्रशिक्षकों/ सुगमकर्ताओं का प्रशिक्षण	जिला स्तरीय सामाजिक संपरीक्षा समिति/ जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी	राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स	जिला मुख्यालय	3 दिन	4–8	30
सामाजिक संपरीक्षा दल का प्रशिक्षण	जिला स्तरीय सामाजिक संपरीक्षा समिति/ जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी	जिला स्तरीय प्रशिक्षकों/ सुगमकर्ताओं द्वारा	जिला मुख्यालय	3 दिन	50–100	35

5.2 राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

सर्वप्रथम राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में राज्य एवं विभिन्न संभागों व जिलों से लगभग 50 मास्टर प्रशिक्षक भाग लेंगे। यह 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण होगा। राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का चयन राज्य सलाहकार समिति के द्वारा किया जायेगा। इसमें अनुभवी अधिकारी, अकादमिक संस्थाओं के अनुभवी प्रशिक्षक, मनरेगा के तहत सामाजिक संपरीक्षा के राज्य प्रशिक्षक, स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुभवी विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण से बने मास्टर प्रशिक्षक दल के द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया जायेगा। इस प्रशिक्षण का आयोजन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा एवं राज्य स्तरीय स्रोत व्यक्ति के रूप में विषय विशेषज्ञ, विभागीय वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे।

5.3 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों/सुगमकर्ताओं का प्रशिक्षण

सम्पूर्ण जिले के सभी पंचायतों में सामाजिक संपरीक्षा सुगमकर्ता दल तैयार करने एवं उनकी क्षमतावृद्धि के लिए जिले स्तर पर एक प्रशिक्षक/सुगमकर्ता दल तैयार किया जायेगा। इस प्रशिक्षक दल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़ी योजनाओं एवं विभागों के ब्लाक स्तर के अनुभवी अधिकारी, जिले में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के मुद्दों पर काम कर रहे स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता, डाइट एवं मनरेगा के प्रशिक्षक आदि भाग लेंगे। हर ब्लाक से उचित मूल्य की दुकानों की संख्या के अनुरूप लगभग 20–30 प्रतिभागी प्रशिक्षण में भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण का आयोजन जिला सामाजिक संपरीक्षा संचालन समिति/जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय स्रोत व्यक्ति टीम के सदस्य बतौर समीक्षक मौजूद रहेंगे।

5.4 सामाजिक संपरीक्षा दल का प्रशिक्षण

सम्पूर्ण जिले के सभी पंचायतों में सामाजिक संपरीक्षा दल की क्षमता वृद्धि के लिए जिले स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा दल का प्रशिक्षण किया जायेगा। यह 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण होगा जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे–सामाजिक संपरीक्षा दल की भूमिका, सामाजिक संपरीक्षा की अवधारणा, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं योजनाएं, सामाजिक संपरीक्षा के चरण एवं प्रक्रिया आदि। इस प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक बतौर समीक्षक मौजूद रहेंगे।

5.5 प्रशिक्षण के सुचारू ढंग से आयोजन हेतु आवश्यक बिंदु

5.5.1 प्रशिक्षण स्थल

- प्रशिक्षण का स्थान उपयुक्त एवं खुले स्थान पर हो जहां पर्याप्त जगह एवं हवादार प्रशिक्षण कक्ष हो।
- प्रशिक्षण स्थल आवासीय व्यवस्था से परिपूर्ण हो एवं सभी प्रतिभागियों की ठहरने आदि की समुचित और स्वच्छ व्यवस्था (महिला एवं पुरुष के लिए पर्याप्त कमरे, शौचालय, पानी की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था) हो।
- प्रशिक्षण कक्ष में 40 प्रतिभागियों के बैठने एवं विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त (लगभग 1000 वर्गफीट) जगह हो।

5.5.2 प्रशिक्षण की तैयारी

- प्रशिक्षण के कम से कम 2 दिन पूर्व प्रशिक्षण हेतु तैयारी बैठक की जाना चाहिए जिसमें प्रशिक्षण व्यवस्था एवं सत्र योजना बनाई जा सके। इसमें सभी प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण व्यवस्थापक / समन्वयक को भाग लेना चाहिए।
- प्रशिक्षण के समन्वय हेतु एक प्रशिक्षण समन्वयक नियुक्त होना चाहिए जो प्रशिक्षण अवधि के दौरान अन्य कामों से मुक्त हो ताकि प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्थाएं समय से हो सकें।
- प्रशिक्षण की तैयारी में न केवल सत्र योजना एवं जिम्मेदारियां तय हों बल्कि सभी तरह की व्यवस्थाओं की जाँच एवं समय अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का पंजीयन एवं उपस्थिति दर्ज करने हेतु प्रपत्र एवं पंजीयन की जिम्मेदारी पूर्व से सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

5.5.3 प्रशिक्षण कक्ष की व्यवस्था

- प्रशिक्षण कक्ष में बोर्ड, एलसीडी आदि के लिए पहले से व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चहिये।
- प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कक्ष का अवलोकन किया जाना चाहिए एवं पहले से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की प्रशिक्षण स्थल उपयुक्त है या नहीं।
- प्रशिक्षण कक्ष में बैठक व्यवस्था ऐसी रखी जाये कि सभी प्रतिभागियों के साथ प्रशिक्षक का सीधा संवाद आसानी से हो सके एवं प्रशिक्षक एवं प्रतिभागियों के बीच निर्बाध संवाद कायम करने में मदद मिल सके।

5.5.4 प्रशिक्षण सामग्री

- प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था सभी सत्रों को ध्यान में रखते हुए पूर्व से ही प्रबंध किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षकों द्वारा सामग्री की जाँच की जाना चाहिए एवं जरुरत अनुसार आवश्यक सामग्री पूर्व से मंगा लेना चाहिए।
- प्रशिक्षण कक्ष में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों (एलसीडी, माइक सिस्टम, बोर्ड आदि) की जाँच पहले से ही कर लेना चाहिए किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

5.5.5 प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों को सूचना एवं यात्रा व्यय का भुगतान

- सभी प्रतिभागियों को कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने का आमंत्रण दिया जाना चाहिए जिसमें प्रशिक्षण के उद्देश्य, समय, ठहरने की अनिवार्यता, प्रशिक्षण स्थल का पता, संपर्क व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- सभी प्रतिभागियों को पंजीयन के साथ ही यात्रा व्यय के भुगतान हेतु यात्रा व्यय पत्रक उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए एवं प्रशिक्षण के दूसरे दिन उसे एकत्रित कर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के अंतिम दिन यात्रा का व्यय का भुगतान (नगद या बैंक खाते में जमा करना) सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6.0 अंतर–विभागीय समन्वय

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल विभिन्न विभागों / संस्थाओं के साथ समन्वय एवं जानकारी साझा करना)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं से जुड़े विभागों एवं अधिकारियों / कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अतः यह आवश्यक है कि इन विभागों को सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया से जोड़ा जाये। विभाग के अधिकारी न केवल राज्य व जिला स्तरीय संचालन समिति में सदस्य होंगे बल्कि प्रशिक्षक दल में भी होंगे। इन विभागों से समन्वय बनाने का दायित्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का होगा। सभी विभागों के साथ राज्य एवं जिला स्तर पर बैठकें, पत्राचार एवं दूरसंचार के माध्यम से संपर्क करके सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया में जोड़ना एवं सूचनाओं को उपलब्ध करवाने के लिए समन्वय करना होगा।

6.1 विभागीय जानकारी उपलब्ध करना

सामाजिक संपरीक्षा से संबंधित विभागीय जानकारी सामाजिक संपरीक्षा दल को उपलब्ध करने हेतु निर्देश जारी हों ताकि आवश्यक जानकारी दल को उपलब्ध हो सके। साथ ही सभी सेवाप्रदाताओं को सामाजिक संपरीक्षा दल को सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु भी निर्देशित किया जाये।

6.2 विभागीय पोर्टल पर सामाजिक संपरीक्षा खिड़की (विंडो) बनाना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुड़े विभागों / योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी को विभागीय पोर्टल पर एक अलग खिड़की (विंडो) बनाकर स्थान दिया जाये जिसमें, सामाजिक संपरीक्षा दल, सतर्कता समितियों, योजना से जुड़े हितग्राहियों की सूची, सेवाओं एवं सुविधाओं आदि के बारे में सूचना को माहवार अद्यतन रखा जाये।

7.0 सामाजिक संपरीक्षा के चरण

चरण	प्रक्रिया और मुख्य पहलू	ध्यान रखने वाली बातें
चरण – 1 : वातावरण का निर्माण और जानकारी का एकत्रण		
1.1 सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल का गठन	इस दल के गठन हेतु सतर्कता समिति के सदस्य, शिक्षक एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्य, सेवानिवृत्त व्यक्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा, पंचायत सदस्य (सरपंच को छोड़कर), रूचि रखने वाले सक्रिय युवा, रूचि रखने वाकी सक्रिय महिलायें, स्थानीय सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता,समुदाय के किसी भी अन्य सदस्य से सम्पर्क क्रर सामाजिक संपरीक्षा के विषय पर चर्चा कर उसका महत्व बताते हुए सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करें।	• पंचायत के सभी गांव में सक्रिय युवाओं, युवा व महिला समूहों (यदि हैं), भजन मंडलियों या अन्य सामुदायिक समूहों के साथ बैठक करना। • गांव के सभी समुदायों के साथ बैठक करना एवं उनसे चर्चा करना। • सामाजिक संपरीक्षा दल एवं सहयोगी दल को समान रूप से महत्व दिया जाये ताकि समानता की भावना बने एवं सहयोगी दल को दोयम दर्जा न दिया जाए। • समुदाय के अलग–अलग वर्गों खास तौर पर वंचित वर्ग के सक्रिय सदस्यों को चिन्हित करना और उनसे संपर्क करना।

		• गांव की सक्रिय महिला खास तौर पर वंचित तबकों की महिलाओं से संपर्क • सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल की सामाजिक संपरीक्षा दल के साथ हर दिन समीक्षा बैठक हो। • सामाजिक संपरीक्षा एवं सहयोगी दल को एक किट दिया जाए जिसमें एक बैग, डायरी/रजिस्टर, सादे कागज एवं पेन हो।
1.2 जनजागरूकता गतिविधियों का क्रियान्वयन	• सामाजिक संपरीक्षा के लिए चयनित ग्राम पंचायत के सभी गांव में समुदाय के साथ शाम को बैठकें/चौपाल आयोजित करना। • समुदाय को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मिले हक व अधिकार के बारे में लगातार अन्य गतिविधियों के दौरान मोहल्लों, नुक्कडों, चाय की दुकानों आदि पर बताएं ताकि समुदाय की अधिनियम के प्रति समझ बने। • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों एवं सामाजिक संपरीक्षा के उद्देश्य एवं महत्व से संबंधित पम्पलेट वितरण। • नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके लोगों को इस प्रक्रिया में जुड़ने हेतु प्रेरित करना। • सामाजिक संपरीक्षा सभा के बारे में स्कूलों में बच्चों के जरिए भी सूचना दी जाये। • सामाजिक संपरीक्षा सभा हेतु डोंडी पिटवाना। • ग्राम पंचायत की सभी बसाहटों में दीवार लेखन किया जाए। इसमें सामाजिक संपरीक्षा की दिनांक से लेकर खाद्य सुरक्षा से संबंधित नारों का प्रयोग किया जाए। • यथासंभव डिजिटल माध्यमों (व्हाट्सअप समूहों, फेसबुक) से भी सामाजिक संपरीक्षा सभा की सूचना दी जाए। • समुदाय के भीतर जाति, सम्प्रदाय और पेशेवर समूहों/वर्गों तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बंधित जानकारियां पहुँचाना।	• सभी वर्ग समुदाय के लोगों को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि सभी की बात सुनी जाएगी, सभी को अपनी समस्या को रखने का अवसर मिलेगा। • समुदाय के भीतर वंचित समूहों/परिवारों की पहचान करना जरूरी है। • समुदाय को सामाजिक संपरीक्षा के महत्व को समझाया जाए। • लोगों को सामाजिक संपरीक्षा सभा में मुद्दे रखने के स्वयं उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाए। • सामाजिक संपरीक्षा सभा में लोगों की उपस्थिति का महत्व बताया जाए एवं कम अनुपस्थिति के नुकसान भी बताए जाएं। • सामाजिक संपरीक्षा सभा को प्रभावित करने वाले तत्वों को पहचानकर उनसे संवाद एवं सहज माहौल की रणनीति पर भी विचार किया जाए। • इस प्रक्रिया के तहत जब सर्वे किया जा रहा हो, तब सामाजिक संपरीक्षा की तिथि और उसमें शामिल होने के लिए भी समुदाय के लोगों से कहा जाए। • इस प्रक्रिया के लिए ग्राम सभा में सामाजिक संपरीक्षा के लिए कोई विशेष ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करवाया गया हो तो उसके एजेंडे का ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दिया जाए। • दीवार लेखन में संपरीक्षा सभा का स्थान, दिनांक, समय लिखना आवश्यक है। • यह सुनिश्चित किया जाना कि संपरीक्षा सभा की सूचना गांव बस्ती में रहने वाले सभी व्यक्ति तक पहुंचे।

1.3 सामाजिक संपरीक्षा हेतु जानकारी डाटा इकठ्ठा करना अ. पीडीएस आ. आईसीडीएस इ. मातृ वंदना योजना ई. मध्यान्ह भोजन योजना	• निर्धारित प्रपत्रों के आधार पर सभी सेवा प्रदाता संस्था में जाकर संपरीक्षा से सम्बंधित जानकारियां ली जाएं। • सम्बंधित पोर्टल से भी ऑनलाइन जानकारियां निकाली जाए। • परिवार सर्वे पत्रक का उपयोग कर जानकारी एकत्र करने हेतु सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल के सदस्यों को प्रशिक्षित करना। • सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल के सदस्यों के द्वारा परिवार सर्वे पत्रक में जानकारी भरना। • सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा सनुह चर्चा के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संकलित करना • प्रपत्र भरने से संबंधित निर्देश को बारीकी से पढ़ें एवं हमेशा अपने साथ रखें।	• विभागीय जानकारी इकठ्ठा करने के लिए संपरीक्षा सभा के समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों के संपर्क किया जाए तथा जानकारियां दिलाए जाने का प्रयास करना आवश्यक है। • पंचायत स्तरीय सेवा प्रदाताओं से जानकारी लेने का प्रयास किया जाना आवश्यक है जिससे समय पर जानकारी मिल सके और प्रक्रिया में जानकारी का उपयोग किया जा सके। • समूह चर्चा महिलाओं के साथ भी होना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखा जाना कि चर्चा में पुरुषों का हस्तक्षेप न हो। • समूह चर्चा में सरल भाषा का उपयोग किया जाना और समूह चर्चा के पूर्व महिलाओं को समूह चर्चा के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी जाए। • यह ध्यान रखिये कि सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सीधे समुदाय से संवाद करना/जानकारियाँ लेना, जो अधिनियम के तहत हकदार हैं और जो पात्र हैं, पर वचित हैं। इस समूह की बात को सदैव प्राथमिकता के साथ सुना, दर्ज किया और संज्ञान में लिया जाए। • यह ध्यान रखना होगा कि सामाजिक संपरीक्षा दल या इस प्रक्रिया से जुड़े लोग स्थानीय प्रभावशाली लोगों, सेवा प्रदाता से घिरे हुए न रहें। इनसे कोई विशेष सत्कार भी नहीं लिया जाना चाहिए। अन्यथा समुदाय में सकारात्मक सन्देश नहीं जाएगा।
1.4 केस अध्ययन	• सर्वे के दौरान निकले मुद्दों से जुड़े परिवार के दस्तावेजों का अवलोकन किया जाए। • मुद्दे से जुड़े तथ्यों उपलब्ध जानकारियों से मिलान किया जाए। • मुद्दे से जुड़े आवश्यक दस्तावेज सहित अलग– अलग व्यक्तिवार केसों का दस्तावेजीकरण कराया जाए।	• केस से जुड़े सही तथ्यों का विश्लेषण दस्तावेजों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। • केस स्टडी उन्हीं मामलों की बनाई जाए जिन मामलों से कोई सीख निकल रही हो यानि सकारात्मक या नकारात्मक सीख वाले मामलों को विस्तृत विवरण लिया जाये। • केस स्टडी नीतिगत मामलों या क्रियान्वयन के मामलों को लेकर हो सकती है।

चरण – 2 : एकत्रित जानकारी का समेकन, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन तैयार करना		
2.1 डाटा को एकजाई करना	• आईसीडीएस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना और प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना से जुड़े प्रपत्रों में भरी गई जानकारी को प्रतिदिन चेक करना एवं उसके जोड़ पूरे करना।	• सर्वे से प्राप्त जानकारी को प्रतिदिन जोड़ किया जाना आवश्यक है। • ऐसे परिवार जो सर्वे के दौरान नहीं मिले उनकी पहचान कर दूसरे दिन उनका सर्वे किया जाना चाहिए।
2.2 विश्लेषण	• आईसीडीएस एवं पीडीएस, मध्यान्ह भोजन, प्रधानमंत्री मातृ योजना सर्वे प्रपत्र का बिंदु बार संख्यात्मक डाटा निकाला जाना चाहिए। इसके पश्चात् गुणात्मक तथ्यों को निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए।	• डाटा सही किया जाना आवश्यक है।
2.3 रिपोर्ट तैयार करना	• विश्लेषण से प्राप्त डाटा के साथ स्थिति को स्पष्ट रूप से बिंदुवार रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए। • विश्लेषण से प्राप्त डाटा की स्थिति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में दिए गए प्रावधानों से जोड़ते हुए अंतर को परिभाषित करना चाहिए। • हर योजना से सम्बंधित परिणामों को चार्ट शीट पर बड़े–बड़े अक्षरों में लिखा जाए, ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें। • सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान इकट्ठा हुई प्रारूप आधारित जानकारी के आधार पर प्राथमिक रिपोर्ट/प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।	• रिपोर्ट की भाषा स्थिति को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। जिसको आसानी से समझा जा सके। • रिपोर्ट में दिया गया डाटा सही एवं स्पष्ट होना चाहिए। • जो लोग/महिलाएं/बच्चे अधिनियम में दर्ज अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और किस हक से वंचित हैं, इसकी जानकारी के साथ सूची तैयार की जायेगी। यह सूची एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में तैयार की जाए, ताकि उसमें कार्यवाही की अनुशंसा और की गई कार्यवाही का विवरण दर्ज किया जा सके। अगली सामाजिक संपरीक्षा में इस सूची का भी संज्ञान लिया जाएगा। • सर्वे से प्राप्त डाटा एवं इस कानून में दी गई व्यवस्था के अंतर को बिन्दुवार कम व स्पष्ट शब्दों में लिख कर प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। • व्यक्तिगत मुद्दों को 4 से 5 पंक्तियों में प्रमाणित तथ्यों के साथ रखा जाना चाहिए। निष्कर्षों में मुख्य रूप से उन व्यक्तियों/हकधारकों की सूची होगी, जिन्हें उनके पूरे हक नहीं मिल रहे हैं, राशन/पोषण के आवंटन के मान से वितरण सम्बन्धी जानकारी होगी।

चरण – 3 : सामाजिक संपरीक्षा सभा का आयोजन		
3.1 सामाजिक संपरीक्षा सभा की तैयारी	• सभा स्थल का चयन। • बैठक व्यवस्था निर्धारित कर सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल एवं ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के सहयोग से बैठक व्यवस्था करना। • सभा के आयोजना, सभा के बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की जाना चाहिए। • पहले से उन लोगों की सूची तय होना चाहिए कि सभा के दौरान कौन–कौन से व्यक्ति अपना पक्ष/विषय/प्रकरण रखने वाले हैं या रखने के लिए तैयार हैं। • सामाजिक संपरीक्षा सभा के लिए ऐसे स्थान का चयन होना चाहिए, जो सबसे सुरक्षित हो और जहां समुदाय के किसी भी व्यक्ति को भागीदारी करने में संकोच न हो। • सामाजिक संपरीक्षा के पहले संपरीक्षा दल या समुदाय के उन लोगों को लालच या प्रलोभन देने की कोशिश की जाएगी, जो वास्तविकता को सामने रखने के लिए तैयार हुए हैं। • सभा में उपस्थित मुद्दों से जुड़े हितग्राहियों को अपनी समस्या को रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। • किसी भी विवादित स्थिति के उत्पन्न होनी की संभावनाओं पर नजर रखना एवं उसका समायोजन किया जाना आवश्यक है। • सेवा प्रदाताओं को अपना पक्ष एवं जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए। • सजगता से यह नज़र रखी जाना चाहिए कि सामजिक संपरीक्षा सभा के बारे में कोई पक्ष मिथ्या सूचना से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश न करें। • बैठक व्यवस्था ऐसी हो, जिससे समुदाय/लोगों को समानता का अहसास हो और ऐसा सन्देश न जाए कि कुछ लोग बेहद प्रभावशाली और उच्च स्तर के हैं।	• संपरीक्षा सभा के लिए ध्वनि यन्त्र की व्यवस्था किया जाना चाहिए • सामाजिक संपरीक्षा सभा की अध्यक्षता कौन करेगा यह तय कर लिया जाना चाहिए, विकल्प के रूप में उपसरपंच या पंच को चयनित किया जा सकता है। साथ ही पैनल में कौन होगा उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए।
3.2 सामाजिक संपरीक्षा सभा का आयोजन	• सभा में उपस्थित सभी सहभागियों का ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत उद्‌बोधन। • सभा की शुरुआत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा	• शुरू में ही यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सामाजिक संपरीक्षा किसी व्यक्ति या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है, इसका मकसद समुदाय की भागीदारी

	अधिनियम के मुख्य प्रावधानों, सामाजिक संपरीक्षा की अवधारणा और महत्व के बारे में बताना। • सभा स्थल पर सामाजिक संपरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष सरल भाषा और सरल प्रारूप में चार्ट के रूप में प्रदर्शित किए जाने चाहिए। • सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा सामाजिक संपरीक्षा से निकले निष्कर्ष की प्रति को अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को दी जाना चाहिए। • संपरीक्षा दल द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन को बिन्दुवार रखा जाना चाहिए। • सामाजिक संपरीक्षा सभा/विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखा जाना चाहिए।	स्थापित करते हुए शासन द्वारा संचालित अधिनियम और योजनाओं का उसके प्रावधानों अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। • सामाजिक संपरीक्षा का एक निर्धारित कार्यक्रम (मिनट से मिनट कार्यक्रम) निर्धारित होना चाहिए। • सामाजिक संपरीक्षा पैनल में ऐसे लोग शामिल होना चाहिए, जिनका इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित न जुड़ा हुआ हो। • सभा की शुरुवात में ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मुख्य बातों के बारे में जानकारी दी जाना चाहिए। • सभा शुरू करते समय यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया का मकसद लोगों के हकों के लिए संसद द्वारा बनाने गए अधिनियम से लोगों को जोड़ना है। इसका मकसद किसी सेवा प्रदाता या विभाग को निशाना बनाना या उनके प्रति किसी दुर्भावना से कार्यवाही करना नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक खास उद्देश्य से बनाया गया है। उस उद्देश्य के मुताबिक इसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा खुद लोग करें, यह भी इसी अधिनियम में लिखा हुआ है। • बिन्दुवार एक–एक कर के सम्बंधित हितग्राही को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात ही सम्बंधित सेवा प्रदाता द्वारा अपना जवाब संपरीक्षा सभा में दिया जाना चाहिए। • सामाजिक संपरीक्षा की संक्षिप्त रिपोर्ट की प्रतियां सभा स्थल पर उपलब्ध होना चाहिए। • सभा में उपस्थित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सामाजिक संपरीक्षा से निकले निष्कर्षों पर बिन्दुवार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

चरण – 4 : सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्षों पर कार्यवाही, समीक्षा एवं मूल्यांकन		
4.1 सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्षों/रिपोर्ट पर कार्यवाही व अंतिम रिपोर्ट की तैयारी	• सामाजिक संपरीक्षा एवं सामाजिक संपरीक्षा सभा के सन्दर्भ में तैयारी से लेकर संपरीक्षा सभा के आयोजन से जुड़े सभी तथ्यों प्रक्रियाओं को विस्तारपूर्वक लेख लेख करते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाए जिसमें सभी केस एवं केसों से जुड़े तथ्यों एवं संलग्नकों, प्रपत्रों को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। • सामाजिक संपरीक्षा से निकले मुख्य बिंदुओं को ग्रामसभा के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाये ताकि आगामी ग्राम सभा में की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जा सके। • तैयार रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को भेजी जायेगी। • सामाजिक संपरीक्षा की पूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा एवं एवं मूल्यांकन ब्लाक व जिला स्तरीय तकनीकी सहायता समूह द्वारा की जाना चाहिए एवं सुधार हेतु सुझाव रखे जायेंगे।	• सामाजिक संपरीक्षा से निकले निष्कर्षों को बिन्दुवार रिपोर्ट में रखा जाना चाहिए। प्रतिवेदन तैयार करते समय टीम की सहभागिता होना आवश्यक है। • प्रतिवेदन तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बिंदु एवं घटना क्रम छूटना नहीं चाहिए। • ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव से संपर्क करके सामाजिक संपरीक्षा से निकले मुख्य बिंदुओं को ग्रामसभा के कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज कराएँ। • एक संक्षिप्त रिपोर्ट एवं जुड़े दस्तावेज सहित रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजें। • यह संभव है कि जानकारी इकट्ठा करने के दौरान मिली जानकारी, जब सामाजिक संपरीक्षा में प्रस्तुत की जाए, तो वह पूरी सही साबित न हो या उसमें सुधार/बदलाव की जरूरत महसूस हो।
4.2 समीक्षा एवं मूल्यांकन	• सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामाजिक संपरीक्षा दल और सतर्कता समिति के साथ मिलकर सम्बंधित विभाग सामाजिक संपरीक्षा, योजनाओं की स्थिति आदि की समीक्षा करेंगे। • यह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि सामाजिक संपरीक्षा का योजनाओं, लोगों और व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?	• यह देखना चाहिए कि जिन लोगों ने सामाजिक संपरीक्षा के दौरान अपना पक्ष/बात/शिकायत रखी, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

8.0 सामाजिक संपरीक्षा की विधि एवं उपकरण

8.1 विभिन्न संस्थाओं, विभागों से द्वितीयक जानकारी एकत्र करना

सामाजिक संपरीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के पोर्टल, दस्तावेजों से योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जायेगी और इस जानकारी को समुदाय से मिलान किया जायेगा।

8.2 जनजागरूकता निर्माण

सामाजिक संपरीक्षा के अंतर्गत संपरीक्षा में शामिल योजनाओं के प्रावधानों, हकों, समुदाय की सहभागिता व भूमिकाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाये और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता हो। समुदाय से संपर्क, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्मों आदि के द्वारा जन–जागरूकता कार्यक्रम किये जाएँगे।

8.3 समुदाय से जानकारी का एकत्रण

8.3.1 परिवार सर्वे

विभिन्न योजनाओं से मिल रहे लाभ के संबंध में परिवारों से जानकारी एकत्र की जाएगी। इस सर्वे हेतु एक प्रपत्र होगा जिसमें एक लाइन की जानकारी सभी परिवारों से भरी जायेगी। मध्यान्ह भोजन, गर्भवती व धात्री महिला, 5 साल तक के बच्चों से संबंधित जानकारी उन संबंधित परिवारों से ही ली जायेगी, जिन परिवारों में ये लाभार्थी होंगे। इसके लिए प्रपत्र निर्धारित हैं।

8.3.2 समूह चर्चा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं जुड़ी योजनाओं से संबंधित नीतिगत पहलुओं पर गुणात्मक जानकारी जमा करने के लिए समूह चर्चा की जायेगी। इस चर्चा के लिए एक चेकलिस्ट निर्धारित है।

8.3.3 अवलोकन

शासकीय उचित मूल्य की दुकान के क्षेत्र में यानि पंचायत स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी संस्थाओं (उचित मूल्य की दुकान, स्कूल, आंगनवाड़ी) के संचालन एवं व्यवस्था से जुड़े पहलुओं को समझने के लिए इन संस्थाओं का अवलोकन किया जायेगा। अलग–अलग संस्थाओं के लिए अवलोकन प्रपत्र निर्धारित है।

8.4 विभिन्न स्तरीय जानकारी से निकले परिणामों का सामाजिक संपरीक्षा सभा में प्रस्तुतिकरण एवं समुदाय द्वारा सत्यापन

समुदाय एवं विभिन्न संस्थाओं से एकत्र की गयी जानकारी के विश्लेषण से निकले परिणामों को सार्वजनिक सभा/ग्राम सभा/सामाजिक संपरीक्षा सभा आयोजित कर प्रस्तुत किया जाता है।

8.5 सामाजिक संपरीक्षा के मुख्य बिंदु

8.5.1 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामाजिक संपरीक्षा

- अधिनियम/योजना/कार्यक्रम में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबधित जो प्रावधान किए गए हैं,

क्या वे हक पात्र व्यक्ति को मिल रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों?

- किन लोगों को लाभ मिल रहा है? कितना लाभ मिल रहा है? क्या अधिनियम के मुताबिक लाभ मिल रहा है?
- कहीं कोई व्यक्ति राशन व अन्य सामग्री से वंचित तो नहीं है?यदि हाँ तो कौन और क्यों?
- राशन व उचित मूल्य दुकान से मिलने वाली अन्य सामग्री के लिए जो हक तय हैं क्या उनमें गुणवत्ता के मानकों का पालन हो रहा है?
- यदि किसी व्यक्ति ने अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है, तो उसका निराकरण हुआ या नहीं? नहीं हुआ तो क्यों नहीं?
- हक / लाभ पाने या लाभ दिए जाने में कोई भेदभाव तो नहीं है?
- अपात्रों को लाभ तो नहीं मिल रहा है?
- योजना / कार्यक्रम के लिए जो जरूरी ढांचा, व्यवस्था, प्रशिक्षण और अधोसंरचना चाहिए, वह उपलब्ध है?
- योजना के तहत बनायी गयी निगरानी व निरीक्षण की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, मसलन क्या सतर्कता समिति बनी? उसके सदस्यों को समिति के कामों के बारे में जानकारी है?
- राशन केंद्र को विगत माहों में कितना राशन मिला, कितना वितरित हुआ?

8.5.2 एकीत बाल विकास योजना की सामाजिक संपरीक्षा

- क्या सभी पात्र बच्चे योजना में दर्ज हैं? क्या सभी को लाभ मिल रहा है?
- 6 साल से कम उम्र के आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे एवं ऐसे बच्चों की संख्या जो दर्ज होने से छूट गए हैं।
- आंगनवाड़ी का नियमित संचालन हो रहा है?
- आंगनवाड़ी में 3–6 साल उम्र के बच्चों को गर्म पका भोजन एवं 3 साल से कम उम्र के बच्चों को टेकहोम राशन की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता?
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन की मात्रा एवं गुणवत्ता?
- 6 साल से कम उम्र के बच्चों की वृद्धि निगरानी एवं कुपोषण की पहचान?
- आंगनवाड़ी में पीने का पानी एवं स्वच्छता की स्थिति?
- स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु आंगनवाड़ी द्वारा किए गए प्रयास की स्थिति?
- विगत माहों में आंगनवाड़ी केंद्र को कितना पोषण आहार मिला और कितना वितरित हुआ?

8.5.3 मध्यान्ह भोजन योजना की सामाजिक संपरीक्षा

- स्कूल में बच्चों की उपस्थिति एवं भोजन का वितरण यानि कितने बच्चों को भोजन दिया गया?
- भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता; बच्चों की रूचि?
- मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व–सहायता समूह का रिकार्ड – कितनी सामग्री मिली और कितनी उपयोग में लायी गई?
- समानता और भेदभाव की स्थिति?

8.5.4 मातृत्व हक (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) की सामाजिक संपरीक्षा

- योजना के तहत पंजीत गर्भवती व धात्री माताओं की संख्या – क्या कोई वंचित तो नहीं है?
- क्या गांव में सभी पात्र महिलायें पंजीकृत हैं? क्या उन्हें निर्धारित किश्तें हासिल हुईं?
- प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् जांचों की संख्या – क्या सभी दर्ज माताओं की जांच हो रही है?
- संस्थागत प्रसव एवं प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता?
- नवजात शिशु की देखभाल सेवाओं एवं टीकाकारण की स्थिति?
- किसी भी तरह का दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है?

9.0 क्या करें और क्या न करें?

क्या करें ?	क्या न करें ?
आप सामाजिक संपरीक्षक दल के सदस्य हैं और इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करने में मदद कर रहे हैं ऐसा परिचय दें।	आप कोई शासकीय कर्मचारी होने का परिचय न दें, आप केवल सामाजिक संपरीक्षा दल के सदस्य हैं।
समुदाय से विनम्र भाव से मिलें एवं बताएं कि वे सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी हैं अतः बिना किसी संकोच के जानकारी दें।	समुदाय में किसी भी व्यक्ति या सेवा प्रदाता से निरीक्षण जैसे भाव न प्रकट करें।
समुदाय को भरोसे में लें और बतायें कि आपके द्वारा दी गयी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है हम इसका उपयोग केवल सामाजिक संपरीक्षा तक ही सीमित रखेंगे।	समुदाय के किसी व्यक्ति/परिवार को किसी तरह का प्रलोभन न दें कि हम आपका नाम जुड़वाँ देंगे या योजना का लाभ दिलवा देंगे।
सेवा प्रदाताओं से भी बात करते समय उन्हें विश्वास में लें एवं बताएं की यह उनके केंद्र का निरीक्षण नहीं है बल्कि मिलकर उसे और बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है।	सेवा प्रदाताओं की खामियां न ढूढें बल्कि जो जानकारी मिल रही है उसे ही दर्ज करें और उन्हें यह भी न कहें की अमुक सुविधाएं या रिकार्ड ठीक नहीं है।
सामाजिक संपरीक्षा का मूल मकसद है सही जानकारी समुदाय के सम्मुख रखना।	हम अपनी राय या अनुभव के आधार पर कोई जानकारी न जोड़ें जो समुदाय ने बताया है वही जानकारी दर्ज करें, ध्यान रहे कि यह जानकारी समुदाय के सामने रखी जाये।
किसी व्यक्ति या परिवार के आवेदन या योजना का लाभ दिलाने हेतु आवेदन की प्रक्रिया बता दें।	समुदाय में कई व्यक्ति या परिवार अपनी समस्याएं या योजना का लाभ दिलाने के लिए अनुरोध करेंगे ऐसे लोगों को आवेदन देने के लिए प्रेरित करें न कि उनके आवेदन कराएँ।

10.0 सामाजिक संपरीक्षा की रिपोर्ट बनाने हेतु प्रपत्र

सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया में विभिन्न स्तरीय जानकारी जमा करने के लिए प्रपत्र बनाये गए हैं। इन प्रपत्रों के जरिये उचित मूल्य की दुकान स्तर पर उस क्षेत्र में जुड़े सभी गांवों के सभी परिवारों की जानकारी ली जायेगी और उसका विश्लेषण किया जायेगा। इन प्रपत्रों की सूची निम्न है –

प्रपत्र– 1 परिवार अनुसूची – सामाजिक संपरीक्षा – खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में परिवार सर्वे (पीडीएस)

प्रपत्र– 2 परिवार अनुसूची – सामाजिक संपरीक्षा – खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में सभी लाभार्थी महिला का सर्वे (आईसीडीएस)।

प्रपत्र– 3 परिवार अनुसूची – सामाजिक संपरीक्षा – खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में (6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) हितग्राही का सर्वे (आईसीडीएस)।

प्रपत्र– 4 परिवार अनुसूची – सामाजिक संपरीक्षा – खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में हितग्राही सर्वे – मध्यान्ह भोजन (6–14 साल)।

प्रपत्र– 5 समूह साक्षात्कार अनुसूची – पी डी एस एवं मध्यान्ह भोजन।

प्रपत्र– 6 समूह साक्षात्कार अनुसूची – आई सी डी एस आंगनवाड़ी से जुड़ी महिलाओं के साथ चर्चा

प्रपत्र– 7 शासकीय उचित मूल्य दुकान का अवलोकन एवं विक्रेता से चर्चा।

प्रपत्र– 8 आंगनवाड़ी का अवलोकन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से चर्चा।

प्रपत्र– 9 मध्यान्ह भोजन रसोई का अवलोकन एवं मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिला/समूह से चर्चा

उक्त सभी प्रपत्र प्रशिक्षण मार्गदर्शिका में दिए गए हैं।

11.0 सामाजिक संपरीक्षा की रिपोर्ट बनाने हेतु प्रपत्र

सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया में विभिन्न स्तरीय जानकारी जमा करने के उसका विश्लेषण किया जायेगा। विश्लेषण से निकले निष्कर्षों को बिन्दुवार तालिकाबद्ध करके प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। प्रतिवेदन प्रारूप निम्न होंगे –

- सार्वजानिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्रारूप।
- समेकित बाल विकास योजना से संबंधित प्रारूप।
- मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित प्रारूप।
- प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना से संबंधित प्रारूप
- उक्त सभी प्रारूप प्रशिक्षण मार्गदर्शिका में दिये गए हैं।

12.0 सामाजिक संपरीक्षा की रिपोर्ट पर कार्रवाई

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया का अंतिम चरण और प्रभावकारी कार्य है सामाजिक संपरीक्षा सभा द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई किये जाने का। यदि सामाजिक संपरीक्षा सभा के बाद निर्णयों पर कार्रवाई नहीं होती है तो न केवल पूरी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है बल्कि समुदाय का भरोसा भी इस प्रक्रिया से उठ जाता है। यह जरुरी है कि सामाजिक संपरीक्षा के बाद त्वरित कार्रवाई की जाये। इस कार्रवाई के लिए प्रस्तावित ढांचा इस प्रकार हो सकता है –

- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सामाजिक संपरीक्षा की रिपोर्ट और सामाजिक संपरीक्षा सभा की कार्यवाही संबंधित विभाग को त्वरित कार्यवाही के लिये प्रेषित करेगा।
- सभी योजनाओं और अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 30 दिन में सामाजिक संपरीक्षा दल, सतर्कता समिति और पंचायत/नगरीय निकाय इकाई को सौंपी जायेगी।
- सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट की जांच एवं अंतिम निर्णय सामाजिक संपरीक्षा सभा द्वारा लिया जायेगा एवं इस पर कोई जांच नहीं होगी। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील जिला शिकायत निवारण अधिकारी, राज्य खाद्य आयोग अथवा सत्र न्यायालय में की जा सकेगी।
- स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत एवं वार्ड) सामाजिक संपरीक्षा सभा द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई के लिए प्रथम ईकाई होगी।
- सामाजिक संपरीक्षा सभा द्वारा लिए गए निर्णयों पर स्थानीय निकाय त्वरित कार्रवाई करेगी।
- स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामलों पर ग्राम पंचायत रिपोर्ट सहित कार्रवाई हेतु एसडीएम को भेजेगी। एसडीएम द्वारा इस रिपोर्ट पर 30 दिन के अंदर कार्रवाई की जायेगी एवं कार्रवाई रिपोर्ट जिला शिकायत निवारण अधिकारी को भेजी जायेगी।
- जो मामले एसडीएम के अधिकार क्षेत्र के बाहर होंगे उन्हें एसडीएम द्वारा रिपोर्ट सहित जिला शिकायत अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेजा जायेगा। जिला शिकायत निवारण अधिकारी इस रिपोर्ट पर 30 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई रिपोर्ट व राज्य स्तरीय मामलों को राज्य खाद्य आयोग को भेजेंगे।
- सामाजिक संपरीक्षा सभा में लिए गए ऐसे निर्णयों, जिन पर कार्रवाई नहीं की गयी है और मामले लंबित हैं, उन पर तत्काल निर्णय लेने के लिए जिला स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा जनसंवाद/जनसुनवाई आयोजित की जाना चाहिए, जिसमें जिला शिकायत निवारण अधिकारी, सभी योजनाओं के जिला स्तरीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के अनुभवी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल हों। सभी मामलों पर त्वरित और निश्चित समयावधि में कार्रवाई की जायेगी।

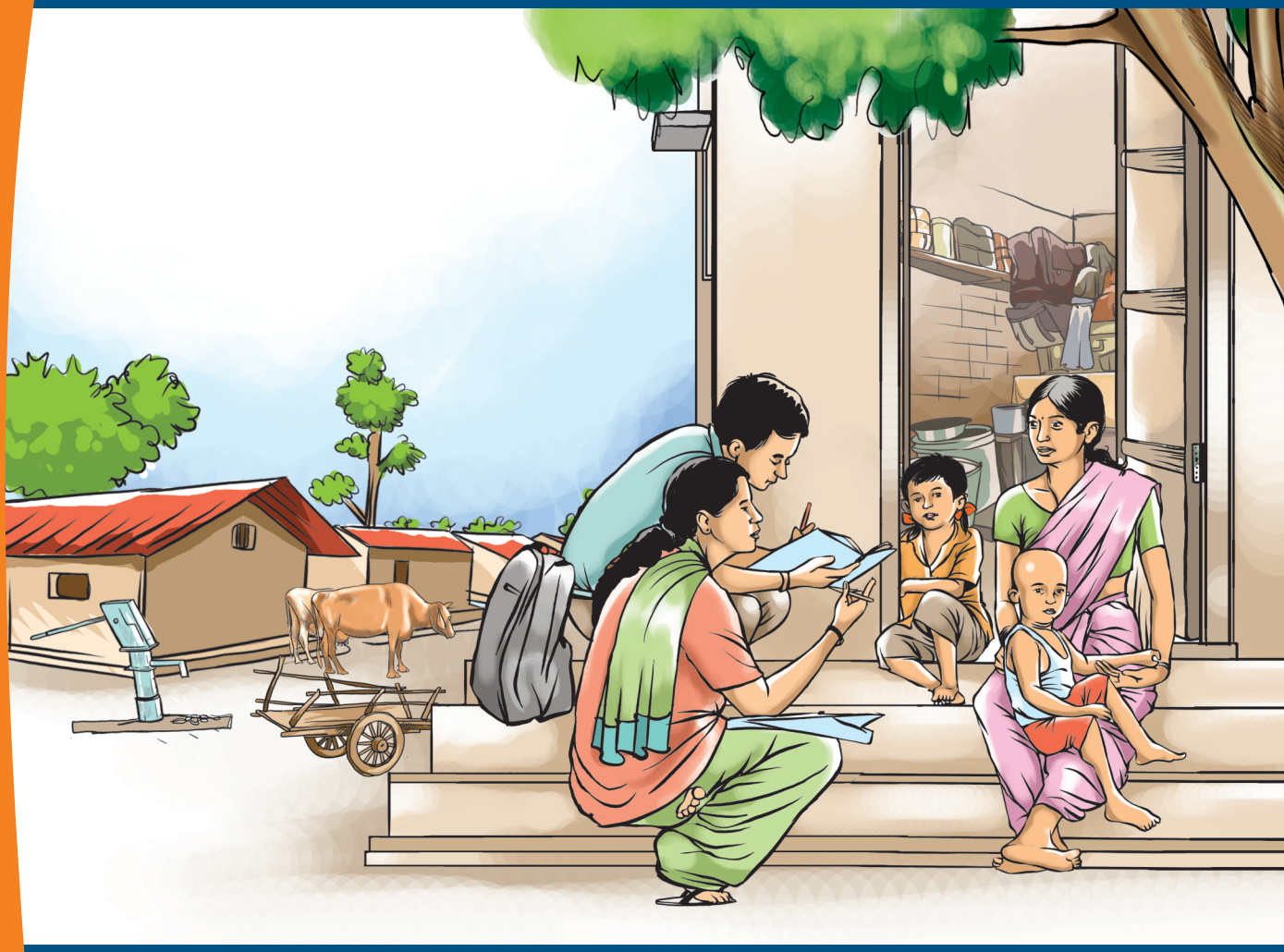

प्रकाशक

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल